झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 14.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01.–	**श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0** **श्री रामदास सोरेन स0वि0स0**	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुड़ाबांधा प्रखण्ड के स्वास्थ्य परिसेवा की स्थिति काफी चिंतनीय है। यह एक ऐसा प्रखण्ड है जहाँ आजतक कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं हुई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो है, परन्तु इसका कोई भवन नहीं है, प्रखण्ड सिंहपुरा में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होता है, यहाँ कोई चिकित्सक का भी पदस्थापन नहीं है, उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ एक ए0एन0एम0 के भरोसे चल रहा है। अतः व्यापक लोकहितार्थ उद्धत विषय पर संज्ञान लेते हुए अन्य प्रखण्डों की तरह गुड़ाबांधा प्रखण्ड में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आवश्यक सारी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की ओर आसन के माध्यम से हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	**स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण**

01.	02.	03.	04.
02–	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0	भवन निर्माण विभाग (भवन निर्माण निगम) द्वारा वर्ष 2018–19 में पलामू जिला के पाण्डु प्रखण्ड तथा उँटारी प्रखण्ड मुख्यालय में गढ़वा जिला के मझिआंव प्रखण्ड मुख्यालय में सी0एच0सी0 भवन का निर्माण प्राक्कलन लगभग ग्यारह करोड़ रू0 प्रति इकाई की दर से स्वीकृति दी गई थी तथा संवेदक द्वारा कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है, परन्तु वर्त्तमान सरकार में संवेदक तथा अभियंता प्रमुख एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से 5–5 करोड़ रूपए का तीनों इकाईयों का प्राक्कलन तैयार कर पूर्व के कार्य को वर्त्तमान में दिखा कर निकासी कर ली गई है और सरकारी राशि का गबन किया गया है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त तीनों योजनाओं की जाँच निगरानी विभाग से करा कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	भवन निर्माण
03–	श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के निम्नलिखित गाँव जैसेः– सोहरा, भदान, हथिन्दर, कैरी पिपराही, लालकिशुन चक, करमा, चयकला, विगहा, रानीक, बेढ़नाबारा, मचला एवं अन्य गाँवों के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होने के कारण करीब पिछले 100 सालों से जंगल क्षेत्र में झोपड़ी लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं जिसके कारण इन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है जैसे कि आवासीय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह जाते हैं और कई बार वन विभाग के द्वारा इनके झोपड़ियों को नष्ट कर दिया जाता है और ये बेघर हो जाते हैं ऐसे में पलायन की स्थिति बन जाती है। अतः मैं इस महत्त्वपूर्ण एवं लोकहित विषय की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	झारखण्ड के अधिकतर जिलों में 1879, 1894, 1910, 1915 एवं 1928 में ही अंतिम बार सर्वे सेटलमेंट पूरा हुआ। कुछ जिलों में अंतिम बार सर्वे सेटलमेंट 1935 ई0 में पूरा हुआ। आजादी के बाद राँची/खूँटी/सिमडेगा एवं गुमला में 1975 ई0 में शुरू हुआ सर्वे 46 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। धनबाद/बोकारो में 1981ई0, पलामू, गढ़वा, लातेहार, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ जामताड़ा गोड्डा व देवघर में 1976-77 ई0 से शुरू हुआ सर्वे आज तक पूरा नहीं हुआ है। और आज जो राज्य की वर्त्तमान परिस्थिति एवं हालात है, सर्वे का काम निकट भविष्य में पूरा होना असंभव है। अतः झारखण्ड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति प्रासंगिक व पूरी तरह संवैधानिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (3) में स्पष्ट है कि अवसरों की समानता का अधिकार होने के बावजूद राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पत्रांक-5014/81-806, दिनांक-03.03.1982, श्रम, नियोजन व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना जिसे बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 में बिहार के स्थान पर 'झारखण्ड' शब्द प्रतिस्थापित करते हुए अंगीकृत किया गया है। मैं उपर्युक्त संदर्भ में सदन के माध्यम से सरकार से 1932 के खतियान के आधार पर झारखण्ड राज्य में स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू करने की मांग करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
05–	**श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0 श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0**	बोकारो जिला अन्तर्गत चास अंचल के मौजा– तेतुलिया थाना– नं0–38 के अधिसूचित वनभूमि (Protected Forest) के प्लॉट सं0– 426, 450, 483, 554 एवं 479 रकवा– 95–65 एकड़ को फर्जी तरीके से भू–माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त जमीन की फर्जी जमाबंदी कायम करने के खिलाफ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित अपर सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीयें जाँच समिति के प्रतिवेदन पत्रांक–9/आरोप बोकारो–47/2016, 3433/स0 के आलोक में 4 एच0 की कार्यवाई करते हुए फर्जी जमाबंदी का रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। परन्तु वर्ष– 2021 में पुनः फर्जी तरीकों का प्रयोग कर भू–माफियाओं के माध्यम से स्थानीय प्रशासन ने जमाबंदी खोलकर इस भूमि जो अधिसूचित वन भूमि की धड़ल्ले से खरीद बिक्री की जा रही है। जल–जंगल जमीन की लूट की इस गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए वन भूमि को लूट से बचाने एवं दोषी पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई की माँग सदन से करते हैं।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

राँची,
दिनांक– 14 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0–

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1250/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विष्णु
12/03/22
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2022-1250/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

विष्णु
12/3/22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

12/03/2022